

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.नि./2017/4703 जयपुर,दिनांक: 13.12.17

:: आ दे रा ::


राजस्थान अधिनेस्थ सेवा की श्रीमती बरखा रानी मीणा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बड़गाँव, जिला उदयपुर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों के कारण दिनांक 31.12.2017 से स्वेच्छिक सेवानिवृति चाही है। श्रीमती मीणा की जन्मतिथि 03.05.1976 है एवं उनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति नियुक्ति तिथि 10.11.1999 है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्रीमती बरखा रानी मीणा को दिनांक 31.12.2017 से स्वेच्छिक सेवानिवृति की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने की शर्त पर जारी की गई है।


श्रीमती बरखा रानी मीणा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बड़गाँव, जिला उदयपुर के विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जाँच/शिकायत विचाराधीन नहीं है।

आज्ञा से,


(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक 1187 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में।
4. विकास अधिकारी, पं.स. बड़गाँव (उदयपुर)
5. श्रीमती बरखा रानी मीणा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पं.स. बड़गाँव (उदयपुर)
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली


संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंचावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.नि./2017/ 4704 जयपुर,दिनांक: 13.12.17

:: आ दे श ::

निम्न कार्मिक पंचायत प्रसार अधिकारियों के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने से उनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	वर्तमान पस्थापित स्थान	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री गंगाराम माली	पं.स. टोडारायसिंह (टोंक)	30.04.2018
2	श्री नुकलाराम	पं.स. भादरा (हनुमागनढ़)	30.04.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित पंचायत प्रसार अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,



(पूनम प्रसाद सागर)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक, हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों के विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अतः उक्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस विभाग को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
3. विकास अधिकारी, पं.स. टोडारायसिंह (टोंक), भादरा (हनुमानगढ़)।
4. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली



संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त